न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, सारण, छपरा।

ए.बी.पी.2931/2026

बनियापुर थाना कांड संख्या–525/2026

अंतर्गत धारा 126(2),115(2),109,3(5) बी.एन.एस.

उपस्थित–अनुराग कुमार त्रिपाठी
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
सारण, छपरा।

मोईन उर्फ मो0 मोईन आलम एवं अन्य .....आवेदकगण

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता–श्री तुफैल अहमद

विपक्षी की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक–श्री ध्रुवदेव सिंह

31.07.2026 आवेदकगण मोईन उर्फ मो0 मोईन आलम, वाशिम उर्फ मोहम्मद वाशिम आलम, तालिबान उर्फ तालिबान अली की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत पर उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचक का आरोप दिनांक 25.06.2026 को मोईन वासिम, तालिबान, अणु सभी लाठी डंडा लेकर खड़े थे। मोईन फरसा से उसके सर पर वार कर दिया। अन्य मुदालह उसके शरीर पर लाठी डंडा से मारपीट किये।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। कोई अग्रिम या नियमित जमानत किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जख्म साधारण प्रकृति का है। दोनों पक्ष में सुलह हो गया है। सुलहनामा अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदक उचित जमानतदार देने को तैयार है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से कथन किया गया कि उभयपक्ष में सुलह हो गया है। ऐसी स्थिति में उचित आदेश पारित किया जाए।

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, सारण, छपरा।

ए.बी.पी.2931/2026

बनियापुर थाना कांड संख्या–525/2026

अंतर्गत धारा 126(2),115(2),109,3(5) बी.एन.एस.

उपस्थित–अनुराग कुमार त्रिपाठी
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
सारण, छपरा।

कांड दैनिकी का अवलोकन किया। उभयपक्ष में सुलह हहो गया है। सूचक न्यायालय में उपस्थित होकर सुलह का समर्थन किया हैं जख्म साधारण प्रकृति का है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामला अग्रिम जमानत योग्य पाया जाता है। उपरोक्त आवेदकगण के द्वारा एक माह के अन्दर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने/पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर प्रत्येक को 10,000/– रुपये (दस हजार रुपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं द्वारा बंधपत्र निष्पादित किये जाने पर निम्न न्यायालय/पुलिस की संतुष्टि पर द0प्र0स0 की 438(2) में उल्लिखित प्रावधानों के शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दिये जाने का आदेश दिया जाता है। आवेदकगण का दोनों जमानतदार ग्रामीण होगा।

लेखापित

ANURAG KUMAR TRIPATHI

Digitally signed by ANURAG KUMAR TRIPATHI
Date: 2026.07.31 15:46:43 +0000

(अनुराग कुमार त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
सारण, छपरा।